

संख्या:फिन(पेंन)बी(10)-3/2006--खण्ड-1  
हिमाचल प्रदेश सरकार  
वित्त (पेंशन) विभाग ।

प्रसक

अतिरिक्त प्रधान सचिव (वित्त),  
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

वित्त

1. समस्त प्रशासनिक सचिव,  
हिमाचल प्रदेश सरकार ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष,  
हिमाचल प्रदेश ।
3. मण्डलायुक्त, शिमला, मण्डी व कांगडा,  
हिमाचल प्रदेश ।

दिनांक: शिमला-171002,

19 सितम्बर, 2015 ।

विषय:- पेंशन मामलों को निपटाने में विलम्ब ।

उद्देश्य,

उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 29 जून, 2015 की ओर आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश प्राप्त है कि केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 56 के अन्तर्गत सभी विभागाध्यक्षों को अगले 24 से 30 महीनों के दौरान सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों की सूचियाँ महालेखाकार (ले0 व ह0) हिमाचल प्रदेश के कार्यालय को भेजना अनिवार्य है परन्तु महालेखाकार कार्यालय ने उनके पत्र संख्या पैन्शन-1/पै.वि.क./जोशी/रिपोर्ट/2015-16/1670-71 दिनांक शून्य अर्थात् इस विभाग के ध्यान में लाया है कि विभिन्न विभागों द्वारा नियम-56 के अन्तर्गत वांछित सूचियाँ नहीं भेजी जा रही है।

इसी तरह केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 51(4) के अन्तर्गत प्रावधान है कि सभी सेवा निवृत्त होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के पेंशन मामले उनकी सेवा निवृत्त के 6 महीने पहले महालेखाकार (ले0 व ह0) हिमाचल प्रदेश के कार्यालय को प्रेषित किए जायें ताकि सेवा निवृत्त हो रहे कर्मचारियों के पेंशन मामलों को उनकी सेवा निवृत्ति से पहले निपटा कर समय पर पेंशन लाभ दिया जा सके। परन्तु उप-महालेखाकार (ले0 व ह0) हिमाचल प्रदेश ने इस विभाग के ध्यान में लाया है कि विभिन्न विभागों के विभाग अध्यक्षों/ कार्यालय अध्यक्षों एवं आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के प्रावधानों विशेष कर नियम 56 व

नियम 61 की अनुपालना नहीं की जा रही है जिसके कारण पेंशनभोगियों को DHE..... तक समय तक उनके पेंशन लाभ से वंचित रहना पड़ रहा है ।

22 SEP 2015 520607


P.A. विभाग 61	
DHE..... तक समय तक उनके पेंशन लाभ से वंचित रहना पड़ रहा है ।	
22 SEP 2015 520607	
Branch	

Dr. G. N. S. for circulation  
22/9/15

अतः आप से अनुरोध है कि आप अपने विभाग के सभी अधीनस्थ कार्यालय अध्यक्षों तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को निर्देश जारी करे कि वे केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 56 से 61 की सख्ती से अनुपालना करें तथा यह सुनिश्चित करें कि कर्मचारियों/ अधिकारियों के पेंशन मामले केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 61(4) के अन्तर्गत सेवा-निवृत्ति से 6 महीने पहले महालेखाकार (ले०वह०) हिमाचल प्रदेश के कार्यालय को भेजे जायें। सभी विभागाध्यक्ष यह भी सुनिश्चित करें कि नियम 56 में वांछित सूचना भी निश्चित समय-वधि के भीतर, महालेखाकार (ले०वह०) हिमाचल प्रदेश के कार्यालय को समय-समय पर भेजा करें।

इसके अतिरिक्त अपने अधीनस्थ कार्यालयों तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को सख्त हिदायतें जारी करें कि वह सेवा निवृत्त अधिकारियों/ कर्मचारियों की जन्म तिथि, ऐम्पिड कोड, डी.डी.ओ. कोड, फार्म-3 में पारिवारिक पेंशन के लिए जन्म तिथि और सेवा निवृत्ति की सही तिथियाँ विशेष तौर पर मृत कर्मचारियों और स्वेच्छा से निवृत्त कर्मचारियों की जन्मतिथि में विवरणियों में दर्शाना सुनिश्चित करें। यह सभी विभागों से अपेक्षित है कि वित्त विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से अमल किया जाए ताकि सेवानिवृत्त अधिकारियों/ कर्मचारियों के पेंशन मामलों का समय-बद्ध तरीके से निपटारा हो तथा सेवानिवृत्त लाभों का भुगतान समय पर सुनिश्चित किया जा सके।

भवदीय,



(अक्षय सूद)

विशेष सचिव (वित्त)


हिमाचल प्रदेश सरकार।

दूरभाष: 0177-2621798

पृ.सं/कजसंख्या:फिन(पें)बी(10)-3/2006-खण्ड-1 दिनांक:शिमला-2, 19/09/2015.

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. उप-महालेखाकार, कार्यालय महालेखाकार (ले०वह०)हिमाचल प्रदेश, शिमला-3 को उनके पत्र संख्या:पेंशन-1/पें.वि.क./जोशी/रिपोर्ट/2015-16/1670-71 दिनांक **शून्य** के सन्दर्भ में सूचनार्थ।
2. समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश सरकार।
3. प्रधान आवासीय आयुक्त, हि०प्र० हिमाचल भवन, 27-सिकन्दरा रोड, नई दिल्ली।
4. मुख्य अभियन्ता, हि०प्र० लो०नि०विभाग/ सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग।
5. पंजीयक, हि०प्र० उच्च न्यायालय, शिमला-1।
6. समस्त जिला सत्र एवं न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश।
7. समस्त नियन्त्रक/संयुक्त नियन्त्रक/ उप नियन्त्रक/सहायक नियन्त्रक/अनुभाग अधिकारी(वित्त एवं लेखा) हिमाचल प्रदेश।
8. समस्त जिला कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, हिमाचल प्रदेश।
9. समस्त अनुभाग अधिकारी, वित्त विभाग, हिमाचल प्रदेश सचिवालय।



विशेष सचिव (वित्त)


हिमाचल प्रदेश सरकार।

शिक्षा निदेशालय उच्चतर  
हिमाचल प्रदेश, शिमला



पृष्ठांकन संख्या: ई0 डी0एन0(1)बी(15)1/2009-दिनांक  
सुचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2।
- 2 विशेष सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2।
- 3 अति० शिक्षा निदेशक(प्र०)/कालेज/स्कूल शिक्षा निदेशालय उच्च. हि०प्र०।
- 4 संयुक्त शिक्षा निदेशक का०-1 / का०-11. शिक्षा निदेशालय उच्च. हि०प्र०।
- 5 संयुक्त नियंत्रक (वि० एवं लेखा). शिक्षा निदेशालय उच्च. हि०प्र०।
- 6 उप निदेशक (उच्च)/ सहायक शिक्षा निदेशालय (उच्च) शिक्षा निदेशालय उच्च. हि० प्र०।
- 7 समस्त प्राचार्य रा० महा० विद्यालय हि०प्र०।
- 8 समस्त उप निदेशक. हि०प्र० अग्रिम कार्यवाही हेतु।
- 9 समस्त प्रधानाचार्य रा०व०मा०पा०/ मुख्याध्याक रा०उ० पा० हि०प्र०।
- 10 निजी सचिव. शिक्षा निदेशालय (उच्च) हि०प्र०।
- 11 तकनीकी अधिकारी शिक्षा निदेशालय (उच्च) वेब साईट अप-डेट करने हेतु।
- 12 समस्त अधीक्षक शिक्षा निदेशालय (उच्च) हि०प्र०।
- 13 अधीक्षक भवन एवं पैनश शाखा उपरोक्त मामले पर आगामी कार्यवाही करें।
- 10 रक्षक नस्ति।

  
शिक्षा निदेशक (उच्च)  
हिमाचल प्रदेश

IT cell